निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

क्रमांक :– एड्स/टी.आई.(112)/2017/ 3092 दिनांकः 3/10/17

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
भीलवाड़ा/चितौड़गढ़/डूंगरपुर/ जालौर/पाली/
राजसमन्द/सिरोही/उदयपुर/बांसवाड़ा/जोधपुर

विषय :– राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी द्वारा प्रस्तावित प्रवासी स्वास्थ्य शिविरों में आर.सी.एच. सेवाओं को सुनिश्चित करने हेतु।

प्रवासी स्वास्थ्य अभियान के तहत् गहन स्वास्थ्य एवं संचार गतिविधियों के आयोजन हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं जिला स्वास्थ्य समितियों के साथ घनिष्ठ समन्वय में राजस्थान राज्य एड्स नियन्त्रण सोसायटी द्वारा योजना बनाई गई हैं।

प्रवासी स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन राज्य के 10 जिलों में किया जाना प्रस्तावित हैं। जहां दीपावली त्यौहार के अवसर पर प्रवासियों का आवागमन सर्वाधिक होता हैं।

राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी द्वारा नोडल अधिकारी नियुक्त कर माईक्रोप्लान तैयार कर तद्नुसार जिले में उच्च प्रवासन वाले गावों में तय दिवसों में उक्त प्रवासी स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक होगा।

राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी के नामित प्रभारी अधिकारी द्वारा आपको उक्त कैम्पों में सहयोग प्रदान किया जावेगा।

आप अपने स्तर पर निम्न व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करावें –

1. आपके स्तर से उक्त शिविरों हेतु एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें, जो समस्त जांच एवं उपचार दलों को शिविर स्थल पर समयबद्ध उपस्थिति सुनिश्चित करते हुये समस्त दवा एवं आवश्यक जांच उपकरणों को सुनिश्चित करेंगे।
2. यह प्रवासी स्वास्थ्य शिविर पूर्णतः निःशुल्क हैं। अतः लाभार्थियों से कोई शुल्क नही लिया जायेगा।
3. जिला स्तरीय नोडल अधिकारी पंचायती राज विभाग, आई.सी.डी.एस., नेहरू युवा केन्द्र, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग व अन्य हित धारक विभागों के साथ उक्त योजना साझा करने के उद्देश्य से जिलाधीश की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन करेंगे ताकि समस्त विभागों का सहयोग उक्त शिविर में प्राप्त किया जा सके।
4. प्रत्येक शिविर के लिये जिला नोडल अधिकारी को कार्यालय आदेश जारी कर वाहन उपलब्ध करावें ताकि जिला स्तर से दल समय पर शिविर तक पहुंच सके।
5. प्रत्येक शिविर में फिजिशियन/यौन एवं चर्म रोग विशेषज्ञ/स्त्री रोग विशेषज्ञ व बाल रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति करें।
6. समस्त आवश्यक दवाओं व जाचों की व्यवस्था शिविर स्थल पर निःशुल्क करें।
7. शिविर पूर्व प्रचार – प्रसार एवं शिविर दिवस में ग्रामीणों को शिविर का लाभ उठाने के लिये प्रेरित करने हेतु ए.एन.एम., आशा, साथिन एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पाबन्द करावें साथ ही इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों के विरूद्व समय पर कार्यवाही सुनिश्चित करें ताकि शिविरों को सफल संचालित किया जा सके।
8. जिला/ब्लॉक आशा समन्वयक व जिला/ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धक एन.एच.एम. को स्वास्थ्य शिविरों में आवश्यक रूप से उपस्थित रहकर समस्त गतिविधियों के सफल संचालन हेतु पाबन्द करें।

इस संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी एवं मार्गदर्शन हेतु श्री सुनील कुमार विश्नोई, संयुक्त निदेशक (टी.आई.), एड्स कन्ट्रोल सोसायटी से मोबाईल नं. – 9414592426 एवं ई–मेल ti.rsacs@gmail.com व विभाग की वेबसाइट www.rsacs.in पर सम्पर्क करें।

प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

क्रमांक :– एड्स/टी.आई.(112)/2017/ 3092 दिनांक :– 3/10/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. DDG (TI), राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, मिशन डायरेक्टर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (जोन) उदयपुर, जोधपुर, अजमेर।
5. समस्त राज्य नोडल अधिकारी ।
6. उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा/चितौड़गढ़/डूंगरपुर/जालौर/पाली/राजसमन्द/सिरोही/उदयपुर/बांसवाड़ा व जोधपुर ।

प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

Scanned by CamScanner